

राजस्थान सरकार
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट कैम्प - चमनपुरा

- आदेश -

यहाँ उक्त दुरस्ती प्रथम पत्र एवं पटवारी चमनपुरा व भूअनि. मांगू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुसूचा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भीलपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी नम्बर 207-19 में खता सख्या 2 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

क्र. सं.	ग्राम	खता सख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	भीलपुरा	2	अलोली बेवा मांगू	अलोली पति मांगू
2.	भीलपुरा	2	हेजी बेवा छीतर	हेजी पति छीतर

(रतनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक - 386/18

दिनांक - 16/5/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हींच किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री _____ को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल रेगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
 बनेडा जिला - भीलवाडा